न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21131/2001
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 17/2001

प्रारूप–ए

उपस्थिति– शंभु दास,
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम,
उदाकिशुनगंज।

निर्णय की तिथि– 24.06.2026

ट्रायल नंबर– 05/2026
सी.आई.एस. नं.–21131/2001
जी.आर.नंबर–131/2001
प्राथमिकी संख्या– उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 17/2001

सूचक	राम सेवक गुप्ता, पिता–श्याम सुन्दर गुप्ता, सा0–लक्ष्मीपूर लालचंद, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मृत्युंजय कुमार, अभियोजन पदाधिकारी
अभियुक्त	1. विनायक झा, उम्र–68 वर्ष, पे0–स्व0 रामाकान्त झा 2. भवानी देवी, उम्र–64, पति–विनय कान्त झा 3. पवन कुमार, उम्र–44 वर्ष, पे0–शोभाकान्त झा 4. भोला यादव, उम्र–70 वर्ष, पे0–स्व0 जद्दू यादव 5. बहादुर साह, उम्र–62 वर्ष, पे0–आनन्दी साह सभी सा0–परमानन्दपूर, थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री बिपिन झा, विद्वान अधिवक्ता

प्रारूप–बी

घटना की तिथि	16.02.2001
प्राथमिकी की तिथि	16.02.2001
आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन की तिथि	28.02.2002
आरोप गठन की तिथि	19.11.2024
साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	11.12.2024
निर्णय हेतु रखने की तिथि	20.06.2026
निर्णय की तिथि	24.06.2026
सजा सुनाने की तिथि, यदि हो	–

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21131/2001
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 17/2001

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	अपराध का आरोप	रिहा या सजा	आरोपित सजा	धारा 428 द.प्र.सं. अन्तर्गत सुनवाई के दरम्यान कारा की अवधि
1	विनायक झा	–	11.07.2001	420/468/471/120बी0/34 भा0द0वि0	रिहा	–	–
2	भवानी देवी	–	11.07.2001	420/468/471/120बी0/34 भा0द0वि0	रिहा	–	–
3	पवन कुमार	–	11.07.2001	420/468/471/120बी0/34 भा0द0वि0	रिहा	–	–
4	भोला यादव	–	11.07.2001	420/468/471/120बी0/34 भा0द0वि0	रिहा	–	–
5	बहादुर साह	–	11.07.2001	420/468/471/120बी0/34 भा0द0वि0	रिहा	–	–

प्रारूप–सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्ष्य की सूची

ए. अभियोजन

क.सं.	नाम	गवाह की प्रकृति
1	पन्नालाल मंडल	स्वतंत्र साक्षी
2	केदार मंडल	स्वतंत्र साक्षी
3	राम सेवक गुप्ता	सूचक

बी. बचाव

क.सं.	नाम	गवाह की प्रकृति
	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के प्रदर्श की सूची

ए. अभियोजन

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण

बी. बचाव

क.सं.	प्रदर्श संख्या–	विवरण
	–	–

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21131/2001
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 17/2001

सी. न्यायालय साक्ष्य

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

डी. वस्तु सामग्री

क.सं.	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण भा0द0वि0 की धारा– 420/468/471/120 बी0/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में आरोपित है। दिनांक–19 नवंबर 2024 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण दोषी होने का अभिवाक नहीं किये तथा वाद विचारण का दावा किए।

02. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक–22.04.2001 को सूचक ने अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीद किया जिसका खाता–1024, नया खेसरा–4047 रकवा 02 बीघा है। अभियुक्तगण के द्वारा जालसाज करके विजय कान्त झा के पत्नी के नाम से दस्तावेज बना कर सूचक को तंग वो तवाह करने लगा। अभियुक्तगण ने मिल कर सूचक को उक्त जमीन से धक्का–मुक्की कर भगा दिया।

03. सूचक के आवेदन दिनांक–16 फरवरी 2001 के आधार पर उदाकिशुनगंज थाना काण्ड संख्या–17/2001 पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाते हुए सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 420/468/471/120 बी0/34 के अंर्तगत आरोप पत्र संख्या–14/2002, दिनांक–28 फरवरी 2002 समर्पित किया। तदोपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक– 19 नवंबर 2024 को सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 420/468/471/120 बी0/34 के अंर्तगत संज्ञान लिया गया। प्राथमिकी अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा एवं दिलिप कुमार का निधन हो जाने के कारण उनके विरूद्ध वाद की कार्रवाई बंद किया गया।

04. दिनांक–18 अप्रैल 2026 को उपरोक्त अभियुक्तगण का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अंर्तगत अभिलिखित किया गया जिससे अभियुक्तगण स्वयं को निर्दोष बताये। निर्दोशिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षापक्ष का बचाव है।

05. इस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न अब यह है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं अथवा नही?

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21131/2001
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 17/2001

मंतव्य

06. इस वाद में अभियोजन द्वारा मात्र तीन साक्षी, साक्षी संख्या–01 पन्नालाल मंडल(स्वतंत्र साक्षी), 2. केदार मंडल (स्वतंत्र साक्षी) एवं 3. राम सेवक गुप्ता (सूचक) का साक्ष्य कराया गया। दिनांक–18 मार्च 2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया।

07. **अभियोजन साक्षी संख्या–01 पन्नालाल मंडल (स्वतंत्र साक्षी)** ने अपने मुख्य परिक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहा कि उभय पक्षों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। जमीन सूचक का है। सभी अभियुक्तगण ने सूचक को कहा कि जमीन अभियुक्तगण लिखा लिये हैं इसलिये सूचक को जमीन पर से भागने को कहा। इसी बात को लेकर सूचक ने केस किया। किसी को मारपीट नहीं किया था सिर्फ जमीन से भगा दिया था। साक्षी विवाद वाली जमीन का खाता, खेसरा नहीं जानते हैं। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर पहचान करते हैं तथा प्रतिनिधित्व वाले अभियुक्तों को देखकर पहचान करने का दावा करते हैं। प्रतिपरिक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा कि साक्षी को गवाही के लिये न्यायालय से नोटिस मिला था। साक्षी ने कहा कि साक्षी इस केस के सूचक के साथ आया है। उससे साक्षी का मेल जोल है। सूचक जो बताया वही गवाही साक्षी ने दिया है। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था।

08. **अभियोजन साक्षी संख्या–02 केदार मंडल (स्वतंत्र साक्षी)** ने अपने मुख्य परिक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहा कि सूचक अपना खेत जोत रहे थे। अभियुक्तगण आया और कहा कि जमीन निबंधन करवा लिये है और हल जोतने नहीं दिया। घटना पच्चीस साल पहले की है। खेत साक्षी हीं जोत रहा था। इसके बाद अभियुक्तगण ने सूचक के साथ मारपीट किया। जिस खेत को जोत रहा था, उसका रकवा दो बीगहा है। इसी बात को लेकर थाना में केस किया था। साक्षी सभी प्रतिनिधित्व वाले अभियुक्तों को देखकर पहचान करने का दावा करते हैं। प्रतिपरिक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा कि साक्षी को आज गवाही का नोटिस कोर्ट से मिला था, तब गवाही देने आया। साक्षी जमीन का खाता, खेसरा नहीं जानते हैं। जमीन का कागजात साक्षी नें नहीं देखा है।

09. **अभियोजन साक्षी संख्या–03 राम सेवक गुप्ता (सूचक)** ने अपने मुख्य परिक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहा कि इस केस का सूचक साक्षी है। साक्षी अपनी पत्नी के नाम से 22.04.2000 को शक्ति गोस्वामी से जमीन निबंधन लिया था, जिसका खाता– 1027नया, खेसरा– 4027, रकवा– 2 बीघा है। साक्षी उस जमीन में हल जोत रहा था तो उस सभी अभियुक्तगण मिलकर आ गये और हल जोतने से मना करने लगे और बोले कि इस खेत को खरीद लिया हूँ। तब हल्ला होने लगा। धक्का मुक्का होने लगा तो वे लोग

साक्षी के हल जबरन खोलने लगा। अगल बगल से लोग जिसमें सुरेश मंडल, केदार मंडल, पन्नलाल मंडल, कृष्णदेव भगत वगैरह है, आये तब बीच बचाव किया और पंचायत बैठाकर निर्णय करने की बात कहा। पंचायत हुई, जिसमें अभियुक्तगण साक्षी को केवाला और जरब्याना का छायाप्रति दिया और पंच कहा कि यह न्यायालय का मामला है इसलिये न्यायालय जाईये। तब साक्षी दिनांक– 08.01.2000 को केवाला का सच्ची प्रति निकाला और न्यायालय गया और केस किया। टंकित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को साक्षी के पहचान पर प्रदर्श– पी.–1 अंकित किया जाता है। प्रतिपरिक्षण के कम में साक्षी ने कहा कि जिस घटना का बयान अंकित कराये हैं उस जमीन के संबंध में अधिकार वाद नहीं किये हैं। विनय कांत झा केस किया है, जिसका अधिकार वाद संख्या– 69/2000 है। इसकी निर्णय उसी के पक्ष में हुआ है।

10. प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथित किया कि अभियोजन द्वारा वाद के समर्थन में मात्र तीन साक्षी का साक्ष्य कराया गया है, सभी साक्षियों ने घटना मुख्य कारण जमीन संबंधित विवाद बताया गया है। स्वयं सूचक ने भी उभय पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद का जिक्र किया है। अभियोजन के द्वारा अन्य किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है और न हीं अनुसंधानकर्ता का ही साक्ष्य कराया गया है।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक के द्वारा बहस के दौरान अभिकथित किया गया कि अभियोजन द्वारा वाद के समर्थन में सभी साक्षियों ने मुख्य परिक्षण में प्राथमिकी का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है। साक्षियों ने प्रतिपरिक्षण के दौरान जमीन संबंधी विवाद के कारण घटना होने की बात के स्वीकार किये हैं। सूचक ने पूर्ण रूपेण घटना का समर्थन किया है तथा प्राथमिकी एवं सूचक के बयान में किसी प्रकार की कोई विसंगती नही है सूचक द्वारा अभियुक्तगण को पहचान करने का दावा किया गया है।

12. उभय पक्षों की ओर से किये गये बहस उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि घटना का मुख्य कारण भूमि विवाद है जिसे सभी साक्षियों ने अपने बयान में पुष्टि किया है। सूचक के द्वारा भी प्रतिपरिक्षण में कहा गया कि अभियुक्तगण के साथ भूमि विवाद होने के कारण उभय पक्ष के बीच अधिकार वाद संख्या–69/2000 चला है। अभियोजन के द्वारा घटना के समर्थन में अनुसंधानकर्ता का भी साक्ष्य नहीं कराया गया है तथा भूमि विवाद होने के कारण उभय पक्षों के बीच सिर्फ बहस वो धक्का मुक्की हुई कोई अपराधिक घटना नहीं घटी है। अतः कोई अपराधिक मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। अभियोगी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा– 420/468/471/120 बी0/34 के अंतर्गत

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम, उदाकिशुनगंज।
सी.आई.एस. नं.–21131/2001
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या– 17/2001

आरोपित आरोपों को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है। अतः अभियुक्तगण रिहाई के हकदार है।

आदेश

13. उपर्युक्त नामित सभी अभियुक्त 1. विनायक झा, 2. भवानी देवी, 3. पवन कुमार, 4. भोला यादव एवं 5. बहादुर साह को आरोपित भा0द0वि0 की धारा– 420/34 468/471/120 बी0/34 के आरोपों से निर्दोष पाकर **दोषमुक्त** किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र की दायित्वों से भी उनमोचित किया जाता है।

लेखापित

Shambhu Das
24.06.26
(श्री शंभु दास)
अ0 मु0 न्या0 दण्डा0–प्रथम,
उदाकिशुनगंज, मधेपुरा
दिनांक–24 जून 2026

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स्वटंकित एवं शुद्धिकृत

Shambhu Das
24.06.26
(श्री शंभु दास)
अ0 मु0 न्या0 दण्डा0–प्रथम,
उदाकिशुनगंज, मधेपुरा
दिनांक–24 जून 2026